



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2973]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 2973]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

का.आ.3393(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 अक्टूबर, 2017 को वह तारीख नियुक्त करती है, जब उक्त अधिनियम की धारा 247 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.1/27/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

S.O. 3393(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 18th October, 2017 as the date on which the provisions of section 247 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/27/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.